कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर

पत्रांक 3317/7 सी   दिनांक : 26/10/2021

सेवा में,

श्री धर्मपाल गुप्ता
महाप्रबन्धक – परियोजना
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू0पी0 कलस्टर प्रथम तल,
डी0डी0 पुरम बेरली–243122।

विषय:– जनपद–शाहजहाँपुर में जी०आई०सी० से अटसलिया रेलवे फाटक (अ०जि०मा०) लम्बाई 3.80 में नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– शासनादेश सं0–760/नौ–9–2018–101ज/17 दिनॉक 30.05.2018 एवं आपका पत्रांक HPCL/CGD/SHA/21-22/01 दिनॉक 14.07.2021

उपरोक्त विषय में आप द्वारा खण्डीय कार्यालय में बी0जी0 संख्या–0012521BG0000021 दिनॉक 28.06.2021 रू० 20000/–एवं बी0जी0 संख्या–0012521BG0000020 दिनॉक 28.06.2021 रू० 3496000/– एस०बी०आई, मुख्य शाखा तारा वाली कोठी, लखनऊ एवं डी०डी० संख्या–396216 दिनॉक 17.06.2021 रू० 4000/–जमा कर दिया गया है। विषयगत मार्ग पर पाईप लाईन डालने के की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के आधार पर दी जाती है:–

1– आप द्वारा नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने से पूर्व लिखित रूप से इस कार्यालय को सूचित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2– आप द्वारा नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने का कार्य सड़क एवं पटरी छोड़कर किया जायेगा।

3– कटिंग पश्चात हुए ट्रेन्चेज को भरकर कुटाई का कार्य आपके द्वारा कराकर पूर्ववत दशा में लाया जायेगा। मैटलिक/विटुमिनस सतह मे कोई भी कटिंग/क्षति नहीं की जानी चाहिए अन्यथा दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

4– खुदाई कार्य के फोटोग्राफ एवं उसके बाद गड्ढा भराई के फोटोग्राफ लेते हुए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।

5– नेचुरल गैस पाईप लाईन डालते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो, यदि दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पटरी कटिंग एजेन्सी की होगी। पटरी कटिंग के द्वारा सर्विस जैसे सीवर, पानी नाला व विद्युत लाईन आदि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पटरी कटिंग एजेन्सी का होगा।

6– पटरी कटिंग के दौरान यातायात के सुरक्षित डायवर्जन की व्यवस्था की जाये तथा रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरीकेटिंग व रात्रि में प्रकाश व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो निर्माण कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी।

7– आबादी भाग में खोदे गये गड्ढों को चारों ओर से बैरीकेटिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जाये, ताकि गड्ढों में कोई भी व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाने का खतरा न हो। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कम्पनी का स्वयं का होगा।

8– कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात ही आपके द्वारा जमा की गयी केवल उक्त बैंक गारण्टी के रूप में जमा सिक्योरिटी की धनराशि को ही मुक्त किया जायेगा।

क्रमशः..............02 पर

Scanned with CamScanner

9– यह अनुमति केवल लोक निर्माण विभाग के मार्गों के लिए पटरी कटिंग से सम्बन्धित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/निगम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।

10– उक्त प्रकरण विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

11– कार्य स्थल पर अनुमति पत्र की प्रति होना अनिवार्य है।

अतः उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ नेचुरल गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में विषयक कार्य हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

26.10.21

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर

पत्रांक /　　　　　　दिनांक : / /

<u>प्रतिलिपि–</u>

1– सहायक अभियन्ता–प्रथम/श्री एस०पी० पाण्डेय, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल का निरीक्षण कर आख्या फोटोग्राफ सहित कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

2– खण्डीय अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शाहजहाँपुर को अभिलेखार्थ हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर

D:\MOHD ABID\Amin Sahab\Gas Line Letter.docx

Scanned with CamScanner